कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्री वागाराम चौधरी व्याख्याता, राजनीति विज्ञान राउमावि बालोतरा, बाडमेर का स्थानांतरण राउमावि बुथिया, बाडमेर किया गया। श्री वागाराम चौधरी ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या 15113/2019 श्री वागाराम चौधरी बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 15113/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.19 द्वारा याचिकार्थी श्री वागाराम चौधरी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने के 10 दिवस के निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए। याचिकार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक माननीय न्यायालय द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी के संबंध में स्थगित रखा गया।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री वागाराम चौधरी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पत्नी रीढ की बीमारी से ग्रसित होने व एवम् स्थानांतरित स्थान से 300 किमी की दूरी पर स्थित होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि नेवरी, बाडमेर, राबाउमावि बालोतरा, बाडमेर, राउमावि रेवाडा जेतमाल, बाडमेर की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता से स्थानांतरण के निर्देश प्राप्त है।

याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। याचिकार्थी का स्थानांतरण वर्तमान बाडमेर जिले में हीं किया गया है, किसी अन्य जिले में नहीं। याचिकार्थी द्वारा अन्यत्र समायोजन तर्कसंगत नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.10.2019 में विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को याचिकार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण कर स्थगित किया था। चूंकि वागाराम चौधरी का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारो पर खारिज किया जा चुका है अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि बुथिया, बाडमेर में व्याख्याता के पद पर दिनांक 30.10.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/अभ्यावेदन/स्थानांतरण/को.के/19–2045 दिनांकः– 24 /10/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा............................।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा..............................।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, बाडमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री वागाराम चौधरी के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिती में उनके विरूद्ध सीसीए–17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जाँच अनुभाग–प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) ....।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि. ....।
9. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)